संख्या-137/2017/1827/22-2-2016-17(460)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री सूबेदार, निवासी जनपद-एटा की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3/(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री सूबेदार, निवासी ग्राम-बगला सुन्दर, थाना-जैथरा, जनपद-एटा का रहने वाला है। खेत की मेड तोडने को लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 28.10.2001 प्रात: लगभग 08:00 बजे परिवार के साथ खेत में आलू बोने की तैयारी कर रहे लज्जाराम की बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा तमंचे से गोली मारकर श्रीमती सर्वेशा देवी को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय), एटा द्वारा दिनांक 12.01.2006 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 49 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी द्वारा भा0द0वि0 की धारा- 307,302 का अपराध कारित किया गया है, रिहा किये जाने पर गम्भीर घटना को अंजाम दे सकता है, बन्दी द्वारा किसी अप्रिय घटना किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एव परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा जिला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री सूबेदार, निवासी जनपद-एटा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है।

3- उपरोक्त् वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हरवीर (बन्दी संख्या-19960) पुत्र श्री सूबेदार निवासी जनपद-एटा के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-137/2017/1827(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, एटा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-137/2017/1827/22-2-2016-17(460)/2016

दिनांक 07 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री सूबेदार, निवासी ग्राम-नगला सुन्दर, थाना-जैथरा, जनपद-एटा का रहने वाला है। खेत की मेड तोडने को लेकर हुए विवाद के कारण बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 28.10.2001 प्रात: लगभग 08:00 बजे परिवार के साथ खेत में आलू बोने की तैयारी कर रहे लज्जाराम की बन्दूक से गोली मारकर हत्या कर दी तथा तमंचे से गोली मारकर श्रीमती सर्वेशा देवी को गम्भीर रूप से घायल किया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-13/2002 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय), एटा द्वारा दिनांक 12.01.2006 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी के 01 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। बन्दी द्वारा दिनांक 18.11.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 00 दिन की अपरिहार तथा 17 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 49 वर्ष है। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा बन्दी को जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बन्दी के पुन: अपराध करने में सक्षम होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा बन्दी द्वारा भा0द0वि0 की धारा-307,302 का अपराध कारित किया गया है, रिहा किये जाने पर गम्भीर घटना को अंजाम दे सकता है, बन्दी द्वारा किसी अप्रिय घटना किये जाने की प्रबल सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एव परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता तथा जिला प्रोबेशन अधिकारी/पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी हरवीर पुत्र श्री सूबेदार, निवासी जनपद-एटा को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in